



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 460 राँची, मंगलवार, 25 आषाढ़, 1946 (श०)
16 जुलाई, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

28 मई, 2024

सं०सं०-2/नि०सं०-12-02/2022 का० 3614--संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2016 के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 3681 दिनांक 29.07.2020 के द्वारा श्री सुदीप्त राज को परीक्ष्यमान उप समाहर्ता के रूप में नियुक्त किया गया। उक्त अधिसूचना में श्री राज का गृह जिलाराँची अंकित है।

2. श्री राज द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में उल्लेख है कि इनके पिता सरकारी सेवक थे एवं उनके पिता की वरीयता सूची में गृह जिला नवादा (बिहार) अंकित है। श्री राज के आवेदन में उल्लेख किया गया है कि वे मूल रूप से ग्राम-मंझला, पोस्ट-नगवा, प्रखण्ड+थाना-मेसकौर, जिला-नवादा के निवासी हैं एवं उनका गृह जिला-नवादा (बिहार) है।

3. श्री राज के अभ्यावेदन के साथ प्राप्त कागजातों के सम्यक जाँचोपरांत श्री सुदीप्त राज का गृह जिला-राँची से परिवर्तन कर गृह जिला-नवादा (बिहार) करने का निर्णय लिया गया है ।

4. सम्यक विचारोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या 3681 दिनांक 29.07.2020 के द्वारा उप समाहर्ता के पद पर नियुक्त श्री सुदीप्त राज, झा०प्र०से० का गृह जिला-राँची को परिवर्तित करते हुए इनका गृह जिला-नवादा (बिहार) अंतःस्थापित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,
सरकार के अवर सचिव ।
